UPMB010000252005

निर्णय

फार्म– ए

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०(सी०ए०डब्लू०) , महोबा।

उपस्थितिः तेन्द्र पाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J O code UP- 1719
सत्र परीक्षण संख्या –207/2005
CNR NO-UPMB010000252005

निर्णय की तिथि-26.03.2026

उत्तर प्रदेश सरकार। .... अभियोजक

बनाम

श्रीमती नाजिरा पत्नी अनीस निवासिनी मुहल्ला नयापुरा नैकाना थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा।
--------------- अभियुक्त

मु०अ०सं० 1053/2004
धारा–498 ए, 304 बी० भा०दं०सं० व धारा 3/4 डी०पी०एक्ट
थाना– कोतवाली नगर महोबा, जिला महोबा

परिवादी/शिकायतकर्ता	उत्तर प्रदेश राज्य
द्वारा	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह राजपूत, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
अभियुक्त	श्रीमती नाजिरा
द्वारा अधिवक्ता	श्री अली हसन

फार्म– बी

अपराध की तिथि	दिनांक–17–12–2004
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	दिनांक–18–12–2004
आरोप–पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि	धारा 319 दं०प्र०सं० में तलब
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	दिनांक– 22–07–2022
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	दिनांक– 22–09–2022
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	दिनांक– 24–03–2026
निर्णय का दिनांक	दिनांक– 26–03–2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	अपराध के आरोप	बरी या सजा	की गयी सजा	धारा–428 Cr.p.c. के उद्देश्य से अभियुक्त के हिरासत में निरूद्धि की अवधि

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०(सी०ए०डब्लू०),महोबा

01	श्रीमती नाजिरा			धारा 498ए, 304बी० भा०दं०सं० व धारा- 3/4 डी०पी०एक्ट भा०दं०सं०			

फार्म सी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षीगण की सूची–

ए. अभियोजन–

क्रम सं०	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी.डब्लू–1	शब्बीर	साक्षी/वादी मुकदमा
पी.डब्लू–2	गुब्बो	साक्षी
पी.डब्लू–3	मुन्ना	साक्षी
पी.डब्लू–4	डा० आर०बी० आर्या	डाक्टर साक्षी
पी.डब्लू–5	चित्तर सिंह	पुलिस साक्षी
पी.डब्लू–6	अश्वनी कुमार श्रीवास्तव	सेवा०उप जिलाधिकारी
पी.डब्लू–7	नरेन्द्र प्रताप सिंह	पुलिस साक्षी विवेचक

बी० प्रतिरक्षा साक्षी–

कोई नहीं

सी– न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो,

कोई नहीं

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची–

ए. अभियोजन

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण/उल्लेख
1.	प्रदर्श क–1/पी.डव्लू. 1	तहरीर
2–	प्रदर्श क–2/	फर्द
3–	प्रदर्श क–3/ पी.डव्लू.4	पोस्टमार्टम् रिपोर्ट
4–	प्रदर्श क–4/पी.डब्लू.5	आरोप पत्र संख्या 2ए/2005
5–	प्रदर्श क–5/पी.डब्लू.6	पंचायतनामा
6–	प्रदर्श क–6/पी.डब्लू.6	चिट्ठी आर०आई०
7–	प्रदर्श क–7/पी.डब्लू.6	चिट्ठी सी०एम०ओ०
8–	प्रदर्श क–8/पी.डब्लू.6	चालान नाश
9–	प्रदर्श क–9/पी.डब्लू.6	फोटो नाश
10–	प्रदर्श क-10/पी.डब्लू.7	नक्शा नजरी
11–	प्रदर्श क-11/पी.डब्लू.7	आरोप पत्र संख्या 2/2005

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में थाना कोतवाली महोबा की ओर से अभियुक्तगण स्माइल, मलिका, फिरोज खॉ व अनीस के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा मामला सत्र सुपुर्द करने के पश्चात सत्र न्यायालय महोबा द्वारा विचारण किया गया। दौरान विचारण अभियुक्तगण श्रीमती नाजिरा एवं नौसाद को जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के प्रार्थना पत्र 20क अन्तर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० में पारित आदेश दिनांक 20.05.2026 के

जरिये विचारण हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात सह अभियुक्त नौशाद को किशोर घोषित किये जाने के उपरान्त उसकी पत्रावली दिनांक 16.02.2022 को पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड भेजी गयी। तत्पश्चात अभियुक्ता नाजिरा का थाना महोबा मु0 अ०सं0 1053/2004, अन्तर्गत धारा–498 ए, 304 बी० भारतीय दंण्ड संहिता व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विचारण किया गया। शेष अभियुक्तगण जिनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त मामला सत्र परीक्षण संख्या 206/2005 का निस्तारण दिनांक 06.02.2008 को किया जा चुका है। मामले में अभियुक्ता श्रीमती नाजिरा का ही विचारण किया जा रहा है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शब्बीर पुत्र रमजान निवासी ग्राम कचीर थाना ककरबई जिला झांसी ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली महोबा को इस आशय की तहरीर दी कि उसकी लड़की सुबरातन की शादी तारीख 25.04.1998 को मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार फिरोज खॉ पुत्र स्माईल खॉ निवासी नयापुरा नैकाना (चीड़घर) के पास महोबा में हुयी थी। शादी के बाद ससुर स्माईल पुत्र श्री अज्ञात व सास मलिका पत्नी स्माईल, अनीस व नौसाद पुत्रगण स्माईल (देवर) व नाजिरा पत्नी अनीस (देवरानी) निवासी मतुहल्ला नयापुरा नैकाना (चीड़घर) महोबा मं उसकी लड़की की शादी होते ही एक लाख रूपया व मोटर साइकिल व एक रंगीन टी०वी० की मांग करते रहे। उसने उन लोगों को कई बार समझा–बुझाकर अपनी लड़की को महोबा भेज दिया लेकिन वह नहीं माने। एक माह पहले अभी उसने रंगीन टी०वी० दे दी थी लेकिन मोटर साइकिल और रूपया नहीं दे पाया। उसका लड़का, भाई और पत्नी व रिश्तेदारों के सामने कई बार उसकी लड़की ने प्रताड़ना वाली बाते बतायी तो उसने कई बार समझाकर लड़की को भेज दिया लेकिन उन लोगों ने उसकी लड़की को दहेज न देने के कारण मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर मार डाला और उसको कोई सूचना नहीं दी। रिश्तेदारो द्वारा टेलीफोन से सूचना मिली तब वे आये व उसकी लड़की को कल मार डाला है। अतः प्रार्थना है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने की कपा करें।

3. वादी मुकदमा की उक्त् तहरीर के आधार पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.12.2004 को मु०अ०सं० 1053/2004 धारा–498 ए, 304 बी० भा०दं०सं० व धारा–3/4 डी०पी०एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तगण स्माईल, श्रीमती मालिका, अनीस, नौशाद, श्रीमती नाजिरा के विरूद्ध दर्ज की गयी। विवेचक द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचक ने आवश्यक अभिलेखों का इन्द्राज अपनी केस डायरी में किया तथा वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयान अंकित किये तथा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शानजरी तैयार किया। विवेचनाधिकारी ने विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण श्रीमती नाजिरा व नौशाद की मामले में संलिप्तता नही पायी गयी और अभियुक्तगण स्माईल, श्रीमती मालिका,

अनीस व फिरोज के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी० भा0 दं0 सं0 व धारा–3/4 डी०पी०एक्ट में अवर न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण स्माईल, श्रीमती मलिका व फिरोज के मामले से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या 206/2005 का निर्णय पूर्व में अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, महोबा द्वारा दिनांक 06.02.2008 को किया जा चुका है। अभियुक्ता श्रीमती नाजिरा का विचारण धारा 319 दं०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र में तलबी के आधार पर किया जा रहा है।

5. अभियुक्ता श्रीमती नाजिरा के विरूद्ध धारा–498ए, 304बी भा०दं०सं० व धारा–3/4 डी०पी०एक्ट के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्ता ने इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने केस के समर्थन में कुल 7 साक्षियों का परीक्षित किया गया।

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर बयान अभियुक्ता का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0 प्र0 सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्ता ने घटना से इंकार करते हुए अभियोजन साक्षीगण के बयान को गलत बताया गया है। उसका यह कहना है कि वह मृतका की देवरानी है और मृतका से अलग दूसरे मोहाल समदनगर में अपने पति के साथ रहती थी। उसकी शादी मृतका की शादी के करीब 4 वर्ष बाद हुयी थी। मुकदमा झूठा चलना बताया है तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है। सफाई साक्ष्य में निकाहनामा की फोटो कापी की प्रति दाखिल की गयी है।

8. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस विस्तारपूर्वक सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहनतापूर्वक परिशीलन किया गया।

9. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 1 के रूप में वादी मुकदमा शब्बीर को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह हाजिर अदालत मुल्जिमान स्माईल, फिरोज व अनीस को जानता है। आज न्यायालय में श्रीमती मल्लिका, श्रीमती नाजिरा और नौशाद हाजिर नहीं है। उसकी लड़की शुबरातन की शादी फिरोज के साथ हुयी थी। अभियुक्त इस्माइल फिरोज का पिता है। नौशाद फिरोज का छोटा भाई है और मल्लिका फिरोज की मां है। नाजिरा उसकी पुत्री की देवरानी है। फिरोज की शादी 25/04/1998 को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुयी थी। उसने शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। ये सभी लोग एक साथ एक घर में रहते थे। उक्त अभियुक्तगण उसकी पुत्री से एक लाख रूपये, एक मोटर साईकिल व रंगीन टी०वी० की मांग करते थे। यह बात उसकी पुत्री ने उसे बतायी तो उसने उनसे कहा कि वह अतिरिक्त दहेज देने

में असमर्थ है। इन लोगों की मांग पूरी न होने की वजह से दिनांक 17.12.2004 को उसकी पुत्री के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इसकी सूचना उसे उसके रिश्तेदार मुस्ताक निवासी पनवाड़ी ने फोन करके दी थी। सूचना पाकर वह और उसके परिवार के लोग महोबा आये। उसने लेट्रिन में सबूत देखे थे। उसकी पुत्री को पूर्ण रूप से जला दिया था, उसे उसकी लाश देखने को मिली थी। इन लोगों की दहेज की मांग पूरी न होने के कारण ससुरालजनों ने मिलकर तेल डालकर जलाकर मार डाला था। उसने इस घटना के एक माह पहले अभियुक्तगणों को रंगीन टी०वी० दी थी और उसने अपनी लड़की को विदा कर दिया था परन्तु यह लोग लगातार दहेज की मांग करते रहते थे। उसने शहजाद खां से बोल बोलकर तहरीर लखवायी थी और उस पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। पत्रावली में कागज संख्या मूल तहरीर की छायाप्रति संलग्न है जिसमें प्रदर्श क–1 डाला गया। पत्रावली में कागज संख्या–11 क फर्द पर उसके हस्ताक्षर है, फर्द मौके पर तैयार की गयी, जिसकी वह पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। विवेचक ने उसके इस सम्बन्ध में बयान लिये थे।

10. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 2 के रूप में श्रीमती गुब्बो को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि उसकी पुत्री सुबरातन जिसकी शादी महोबा में फिरोज पुत्र इस्माल के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से लगभग आज से 25 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी में उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर विदा किया था। शादी के बाद जब उसकी पुत्री ससुराल आयी तो ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रूपया व मोटर साईकिल की मांग, ससुर इस्माइल, सास मल्लिका, पति फिरोज, देवर अनीस, देवर नौशाद अनीस की पत्नी नाजिरा यह सभी लोग मिलकर उसकी लड़की को प्रताड़ित करते थे। जब उसकी लड़की उसके घर आयी तो उसने यह सब बातें उसे बतायी। उसने एक दो बार अपनी विरादरी के लोगों को व ससुराल के लोगों को बुलाकर यह बात कही की वह गरीब है। उसके पास अतिरिक्त दहेज हेतु पैसा नहीं है तो ससुरालीजनों ने कहा कि अपनी पुत्री को उनके साथ भेज दो वे अब दहेज की मांग नहीं करेगे तो उसने अपनी पुत्री को विरादरी के लोगों व ससुरालीजनों के कहने पर विदा कर दिया। ससुरालीजनों ने एक महीने बाद अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। लड़की की मृत्यु की सूचना उसके रिश्तेदारों के द्वारा प्राप्त हुई थी। ससुरालीजनों ने उसे पुत्री की मृत्यु की कोई सूचना नहीं दी थी। सूचना प्राप्त होने पर वह और उसके परिवार के लोग ससुराल आये तो उसकी पुत्री उसे मृत अवस्था में मिली थी जिसका पंचनामा भरा जा चुका था। इस घटना की रिपोर्ट उसके पति ने कोतवाली महोबा में की थी। विवेचक ने उसके बयान लिये थे। पूर्व में वह इस सम्बन्ध में न्यायालय में बयान दे चुकी है।

11. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 3 के रूप में मुन्ना खां को परीक्षित कराया गया है,

जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि उसकी भतीजी का नाम सुबरातन था। उसकी भतीजी की शादी बयान की तिथि दिनांक 16.12.2024 से करीब पच्चीस छब्बीस साल पहले फिरोज खान पुत्र इस्माल निवासी नयापुरा नैकाना महोबा के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। उसके भाई ने शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। वह भी इस शादी में शामिल हुआ था जो भी शादी में सामान दिया था। उसकी लिस्ट बनी थी। विदा होकर अपनी ससुराल गयी तो वहां पर ससुरालीजन पति फिरोज खान ससुर इस्माइल खान, सास मलिका, देवर अनीस, नौशाद देवरानी नाजिरा यह सभी लोग अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपया नगद एक मोटर साईकिल व रंगीन टी०वी० की मांग करने लगे और उसकी भतीजी को परेशान करने लगे। भतीजी ने यह बात मायके आकर उसे व उसके परिवार के लोगों को बतायी। उसने अपनी बच्ची को समझा बुझाकर भेज दिया और ससुरालीजनों को समझाया वे लोग गरीब व्यक्ति है। अब अतिरिक्त दहेज नहीं दे सकते है। लेकिन ससुरालीजन भतीजी को लगातार प्रताड़ित करते रहे और उसके मारपीट करते रहे। मृत्यु के एक माह पहले भी उन लोगों को प्रताड़ना वाली बात बतायी थी। उसकी भतीजी ने दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मिट्टी का तेल डालकर जलाकर उसकी हत्या कर दिया था। उसकी सूचना उसके रिश्तेदार पनवाड़ी वालों ने सूचना दी थी। ससुरालीजनों के द्वारा उसने सूचना नहीं दी। वे लोग उस सूचना पाकर महोबा आये तो उसकी भतीजी कफन में लिपटी हुयी मिली। ये लोग दफनाने के लिए जा रहे थे। उसकी भतीजी की हत्या उक्त ससुरालीजनों ने की है। इस घटना की रिपोर्ट उसके भाई ने की थी। पुलिस ने उससे पूॅछतॉछ की थी।

12. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 4 के रूप में डा० आर०बी० आर्या को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दिनांक 18.12.2004 को जिला अस्पताल में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस में लगी थी। समय 12.40 दोपहर को होमगार्ड सुभाष चन्द्र शर्मा व परशुराम अपने साथ 07 प्रपत्र व महिला मृतका की सीलबन्द लाश लेकर आये थे। मृतका की आयु लगभग बाइस वर्ष साधारण कद काठी की नौजवान महिला थी। आँखे बन्द थी, मुँह खुला था। पेट फूला हुआ, त्वचा जली हुयी, काले रंग की त्वचा सिकुडी हुयी थी। दोनों हाथ तथा दाये व बायें पैर की हड्डियां दिखाई दे रही थी। शरीर अकड़ गया था। बाल जले व झुलसे थे। मृत्यु पश्चात की अकडन जलने के कारण शरीर अकड़ जाने के कारण जारी नहीं की जा सकी। मृतका के जलने के अलावा कोई चोट नही पायी गयी थी। मस्तिष्क की झिल्लियां, प्यूरा, पैरीटोनियम, लीवर, प्लीहा, गुर्दा व अग्नि ग्रन्थि सिकडे हुये थे। ट्रैकिया में कार्बन के कण पाये गये थे। दोनो फेफड़े सिकड़े हुए, हृदय के दोनो भाग भरे थे। आमाशय में पांच सौ एम.एल. पचा हुआ खाना पाया गया था। छोटी आंत में गैस व तरल पदार्थ, बड़ी आंत में गैस व मल पदार्थ,

गाल ब्लेडर आधा भरा तथा मूत्राशय खाली था। मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम करने से एक दिन पूर्व जलने के कारण आये दर्द व सदमे व दम घुटने से हुई थी। उपरोक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज संख्या 9क उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में रिपोर्ट तैयार की थी। पोस्टमार्टम रिपार्ट की छाया प्रति उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क 3 डाला गया। उसके इससे पूर्व भी इस पत्रावली में बयान हो चुके है। मृतका के शरीर में कोई वस्त्र नहीं था। केवल पेटीकोट का एक लाल रंग का जला हुआ टुकड़ा पाया गया था। उसके शरीर से एक जोड़ी चूड़ियॉ सफेद धातु एक नाक की कील पीली धातु, एक जोड़ी कान के झाला पीली धातु कांच की चूड़ियों के टूटे टुकडे, पेटी कोट का टुकडा सीलबंद कर पुलिस को सौप दिया गया था। मृतका की मृत्यु दिनांक 17.12.2004 को पूर्ण रूप से जलने के कारण हुयी है।

13. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 5 के रूप में सेवानिवृत्त उप निरीक्षक चित्तर सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह अप्रैल 2003 से थाना कोतवाली महोबा में 2007 तक कनिष्ठ पैरोकार के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2005 में क्षेत्राधिकारी सदर छोटेलाल गुप्ता तैनात थे। उसने उन्हें लिखते पढ़ते व हस्ताक्षर बनाते देखा है। पत्रावली में आरोप पत्र संख्या 2ए/र 2005 मु०अ०सं० 1053/2024 धारा 498ए, 304बी भा०दं०सं० व धारा–3/4 डी०पी०एक्ट कागज संख्या 8क/2 सरकार बनाम फिरोज खान के हस्ताक्षर है जिसकी वह पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क –4 डाला गया। पत्रावली में मूल आरोप पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।

14. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 6 के रूप में सेवानिवृत्त उप जिलाधिकारी अश्वनी कुमार श्रीवास्तव को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दिनांक 17.12.2004 को तहसील महोबा में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात था। उसी दिन रपट नं० 21 समय 14:35 पर श्रीमती शुबरातन पत्नी फिरोज निवासी नयापुरा नैकाना थाना महोबा की मृत्यु की सूचना कोतवाली महोबा ने अंकित कराई थी। उसका पंचायतनामा भरने के लिए उसे उपजिलाधिकारी महोबा ने मौखिक आदेश दिया। उनके आदेश का अनुपालन करने के लिए वह घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद एस.एस.आई. रामरतन वर्मा, कां. सुभाषचन्द्र शर्मा, एच.सी. परशुराम वहां पर पंचायतनामा से सम्बन्धित सभी दीगर कागजात अपने साथ लिये हुये थे। मृतका का शव दूसरी मंजिल पर बाथरूम के अन्दर मिला था जो कि पूर्ण रूप से जला हुआ था। शरीर में कोई भी वस्त्र मौजूद नहीं था। घटना स्थल पर मृतका की सास मल्लिका मौजूद थी। महिला होने के नाते उसने मल्लिका से मृतका के शरीर का चोटों की दृष्टि से परीक्षण कराया। शरीर पूर्ण रूप से जल जाने के कारण कोई जाहिरा चोट स्पष्ट नहीं हुई। वहां पर उपस्थित मोहल्ले के अन्य लोगों से पांच पंच नियुक्त किये। पंचो की राय उसके द्वारा ली गयी। पंचो की राय उसकी राय से मेल खाती है।

उसके द्वारा मृतका की मृत्यु का सही जानकारी के लिए पोस्टमार्टम कराया जाना अति आवश्यक समझा गया। उसने शव को मौके पर शीलमुहर कर मौके पर सभी प्रपत्र तैयार कर कां० सुभाष चन्द्र शर्मा, एच.सी. परशुराम को सुपुर्द कर जिला चिकित्सालय महोबा भेजा। साथ में सभी प्रपत्र भी भेजे। पत्रावली में कागज से 10 क/1, 10 क/2 पंचायतनामा, 13 क/1 आर.आई. की चिट्ठी, 13 क/2 सी.एम.ओ. की चिट्ठी, 13 क/3 चालान नास 13 क/4 फोटो नास के सभी प्रपत्र पर बने हस्ताक्षर उसके है। जिसकी वह पुष्टि करता है। जिस पर प्रदर्श क– 5, क– 6, क– 7, क–8 व क–9 डाला गया। उसके पूर्व में इस पत्रावली में साक्ष्य हो चुके है। इस पत्रावली में मूल प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न है।"

15. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 7 के रूप में क्षेत्राधिकारी नरेन्द्र प्रताप को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दिनांक 10.12.2004 को सी०ओ० सिटी महोबा के पद पर कार्यरत था। उसे इस की विवेचना प्राप्त हुई। उसने इसी दिन पर्चा न० किता किया जिसमें नकल रपट नकल चिक का अवलोकन किया और एफ०आई०आर० लेखक कां०मु० ओमकारनाथ का बयान दर्ज किया व केस डायरी में पंचनामा का अवलोकन किया। शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवलोकन किया व कां० सुभाष चन्द्र शर्मा व होमगार्ड परशुराम के बयान दर्ज किये। पंचनामा भर वाले अधिकारी नायब तहसीलदार अश्वनी कुमार व पोस्टमार्टम करने वाले डॉ० आर०बी० आर्या व डॉ० आर०सी० मिश्रा के बयान दर्ज किये। दिनांक 20.12.2004 को केस डाययरी में फर्द की नकल एस०आई० रामरतन वर्मा के बयान दर्ज किये। रामरतन वर्मा को लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया व नक्शा नजरी तैयार किया व पंचनामा में नियुक्त पंचों क बयान दर्ज किये गये। दिनांक 21.12.2004 को वादी मुकदमा सब्बीर के बयान दर्ज किय और मौके पर फर्द तैयार की गयी। मृतका के चाचा मुन्ना खां, मृतका की मां गुब्बो मृतका की चाची आइसा खातून के बयान दर्ज किये। दिनांक 22.12.2004 को वादी मुकदमा वा मृतका की मां को थाना कार्यालय बुलाकर प्रपत्र प्राप्त किये, जिसकी नकल केस डायरी में की गयी। दिनांक 01.01.2005 को बबलू, श्रीमती मीना, शहजाद बयान दर्ज किये थे। दिनांक 06.01.2005 को अभियुक्त इस्माईल, श्रीमती मल्लिका, अनीस जो रिमाण्ड पेशी पर हिरासत में आये उनके बयान अंकित किये गये। दिनांक 19.01.2005 को श्रीमती वहीदन खातून, सब्बू खां और श्रीमती पार्वती, रामेश्वर, चतुर्भुज के बयान दर्ज किये। विवेचना पूरी करके अभियुक्तगण इस्माईल, श्रीमती मल्लिका, अनीस के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–02/2005 न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्त फिरोज गिरफ्तार नहीं हुआ था इसलिये उसकी विवेचना प्रचलित रखी गयी। इसके बाद मेरा स्थानान्तरण हो जाने पर अग्रिम विवेचना क्षेत्राधिकारी छोटेलाल गुप्ता को दी गयी। पत्रावली में कागज संख्या–12 क घटनास्थल का नक्शा नज़री व का०सं०–३क आरोप पत्र

उसके लेख व हस्ताक्षर में है. जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर कमश प्रदर्श क 10 व क–11 डाला गया।

<u>बहस बचाव पक्षः–</u>

16. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्ता निर्दोष है। अभियुक्ता को गलत फँसाया गया है। अभियुक्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी परन्तु विवेचक ने उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया इसलिए उसके विरूद्ध आरोप पत्र नहीं लगाया। बाद में धारा 319 दं०प्र०सं० के आधार पर न्यायालय द्वारा तलब किया गया। अभियुक्ता मृतका की देवरानी है और उसकी शादी मृतका की शादी से 5 वर्ष बाद हुयी थी। वादी मुकदमा ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पी०डब्लू०–1, पी०डब्लू–2 एवं पी०डब्लू०–3 ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि शादी के उपरान्त ही मृतका की ससुराल वालों व समस्त रिश्तेदारों द्वारा दहेज की माँग की जाती थी उसे प्रताड़ित किया जाने लगा और वादी व अन्य लोगों के समझाने पर मृतका फिर अपनी ससुराल चली गयी, जबकि उस समय मृतका की शादी के तुरन्त बाद अभियुक्ता नाजिरा उनके परिवार में थी ही नहीं है वह कैसे दहेज हेतु माँग करके प्रताड़ना कर सकती है। अभियुक्ता देवरानी है और अपने पति के साथ अलग मकान में रहती है और अभियुक्ता की शादी के लगभग एक वर्ष बाद ही मृतका की मृत्यु हुयी है। वादी व अन्य गवाहों द्वारा अभियुक्ता के विरूद्ध विशेष रूप से दहेज मांगने व उसके द्वारा प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। उसके विरूद्ध सीधा कोई आरोप नहीं लगाया है तथा पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–2 ने अपनी प्रति परीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्ता उसकी बेटी लगती है। अभियुक्ता के विरूद्ध पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे दोषमुक्त किया जाये।

<u>बहस अभियोजन पक्षः</u>

17. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ दहेज हेतु प्रताड़ित किया जाता था और सबने मिलकर मृतका की हत्या की है अन्य सह अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जा चुका है। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता को धारा 319 दं०प्र०सं० में तलब किया गया है। अभियोजन साक्षीगण ने सभी अभियुक्तगण द्वारा दहेज की माँग कर मृतका को प्रताड़ित करना कहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्ता को दोषसिद्ध किया जाये।

18. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य तथा उनके द्वारा दिये गये तर्कों के आधार पर अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित अवधार्य बिंदुओं का विरचन किया जा रहा हैः–

1. क्या मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई है?

2. क्या मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई है?

3. क्या मृतका की मृत्यु दहेज की मांग को लेकर किए गए क्रूरता के परिणामस्वरूप हुई? तथा क्या अभियुक्ता नाजिरा द्वारा किए गए मानसिक उत्पीड़न के कारण मृतका की मृत्यु हुई, जिसके लिए अभियुक्ता नाजिरा उत्तरदायी है?

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या-1</u>

19. अवधार्य बिन्दु संख्या-1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई है?

20. "पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन किया है कि मृतका सुबरातन का विवाह दिनांक 25.04.1998 को मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार अभियुक्त फिरोज खान के साथ संपन्न हुआ था। वादी मुकदमा ने स्वयं को पी.डब्ल्यू.–1 के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में भी यह कहा है कि मृतका का विवाह दिनांक 25.04.1998 को मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार हुआ था। पी.डब्ल्यू.–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि दिनांक 17.12.2004 को अभियुक्त द्वारा उसकी पुत्री के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई, जिससे वह पूर्णतः जल गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृतका की मृत्यु दिनांक 17.12.2004 को जलने के कारण हुई। इस संबंध में पी.डब्ल्यू.–4, डॉ. आर.वी. आर्या, जिन्होंने मृतका का पोस्टमार्टम दिनांक 18.12.2004 को किया था, ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया है कि मृतका की मृत्यु दिनांक 17.12.2004 को हुई थी तथा मृत्यु का कारण जलने से उत्पन्न प्रभाव था। इस प्रकार अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि मृतका का विवाह दिनांक 25.04.1998 को हुआ था तथा उसकी मृत्यु दिनांक 17.12.2004 को हुई। अर्थात् विवाह की तिथि से लेकर मृत्यु की तिथि तक का समय लगभग 6 वर्ष 7 माह 19 दिन का है। अतः यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान वाद में जिस अभियुक्ता के विरुद्ध विचारण चल रहा है, वह मृतका के पति के छोटे भाई की पत्नी, अर्थात् मृतका की देवरानी है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अवधार्य बिंदु संख्या –1 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।.

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या–2</u>

21. अवधार्य बिन्दु संख्या–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई है?

22. यह उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन किया है कि अभियुक्तगणों ने उसकी पुत्री को दहेज की मांग पूर्ण न होने के कारण मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर मार डाला। वादी मुकदमा ने पी.डब्ल्यू.–1 के रूप में अपनी मुख्य परीक्षा में भी

यह कहा है कि अभियुक्तगण द्वारा उसकी पुत्री को पूर्ण रूप से जला दिया गया था तथा उसे केवल उसकी जली हुई लाश ही देखने को मिली थी। उसके अनुसार दहेज की मांग पूरी न होने के कारण ससुराल पक्ष के लोगों ने मिलकर उसकी पुत्री पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पी.डब्ल्यू.–2, जो कि मृतका की माता है, ने भी अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतका को आग लगाकर उसकी हत्या कर दी तथा मृतका की मृत्यु की सूचना भी उन्हें नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त पी०डब्ल्यू०–3 ने भी अपने साक्ष्य में मृतका को जला कर मार दिए जाने का कथन किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्ल्यू०–4 के रूप में डॉ. आर.वी. आर्या को परीक्षित कराया गया है। उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि दिनांक 18.12.2004 को उन्होंने मृतका के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था तथा कहा कि " दिनांक 18.12.2004 को जिला अस्पताल में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस में लगी थी। समय 12.40 दोपहर को होमगार्ड सुभाष चन्द्र शर्मा व परशुराम अपने साथ 07 प्रपत्र व महिला मृतका की सीलबन्द लाश लेकर आये थे। मृतका के आयु लगभग बाइस वर्ष साधारण कद काठी की नौजवान महिला थी। आँखे बन्द थी, मुँह खुला था। पेट फूला हुआ, त्वचा जली हुयी, काले रंग की त्वचा सिकुडी हुयी थी। दोनों हाथ तथा दाये व बायें पैर की हड्डियां दिखाई दे रही थी। शरीर अकड़ गया था। बाल जले व झुलसे थे। मृत्यु पश्चात की अकडन जलने के कारण शरीर अकड़ जाने के कारण जानकारी नहीं की जा सकी। मृतका के जलने के अलावा कोई चोट नही पायी गयी थी। मस्तिष्क की झिल्लियां, प्यूरा, पैरीटोनियम, लीवर, प्लीहा, गुर्दा व अग्नि ग्रन्थि सिकडे हुये थे। ट्रैकिया में कार्बन के कण पाये गये थे। दोनो फेफड़े सिकड़े हुए, हृदय के दोनो भाग भरे थे। आमाशय में पांच सौ एम.एल. पचा हुआ खाना पाया गया था। छोटी आंत में गैस व तरल पदार्थ, बड़ी आंत में गैस व मल पदार्थ, गाल ब्लेडर आधा भरा तथा मूत्राशय खाली था। मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम करने से एक दिन पूर्व जलने के कारण आये दर्द व सदमे व दम घुटने से हुई थी। उपरोक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज संख्या 9 क उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में रिपोर्ट तैयार की थी। पोस्टमार्टम रिपार्ट की छाया प्रति उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। उसके इससे पूर्व भी इस पत्रावली में बयान हो चुके है। मृतका के शरीर में कोई वस्त्र नहीं था। केवल पेटीकोट का एक लाल रंग का जला हुआ टुकड़ा पाया गया था। उसके शरीर से एक जोड़ी चूड़ियॉ सफेद धातु एक नाक की कील पीली धातु, एक जोड़ी कान के झाला पीली धातु कांच की चूड़ियों के टूटे टुकडे, पेटी कोट का टुकडा सीलबंद कर पुलिस को सौंप दिया गया था। मृतका की मृत्यु दिनांक 17.12.2004 को पूर्ण रूप से जलने के कारण हुयी है।" "इससे स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु जलने के कारण हुई थी,

जो कि असामान्य परिस्थितियों में हुई मृत्यु है। यह एक अप्राकृतिक मृत्यु है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-बी के लिए आवश्यक तत्वों में से एक, अर्थात् विवाहिता की अस्वाभाविक मृत्यु, के अंतर्गत आती है। अतः बिंदु संख्या-2 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।"

अवधार्य बिन्दु संख्या-3

23. अवधार्य बिन्दु संख्या-3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या मृतका की मृत्यु दहेज की मांग को लेकर किए गए क्रूरता के परिणामस्वरूप हुई? तथा क्या अभियुक्ता नाजिरा द्वारा किए गए मानसिक उत्पीड़न के कारण मृतका की मृत्यु हुई, जिसके लिए अभियुक्ता नाजिरा उत्तरदायी है?

24. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्ता नाजिरा निर्दोष है। उसके द्वारा मृतका के साथ न तो कोई मानसिक उत्पीड़न किया गया और न ही कोई शारीरिक क्रूरता की गई, तथा न ही उसके द्वारा किसी प्रकार की दहेज की मांग की गई। अभियुक्ता नाजिरा मृतका की देवरानी है। मृतका का विवाह दिनांक 25.04.1998 को फिरोज खान के साथ हुआ था, जो कि अभियुक्ता नाजिरा का जेठ है। अभियुक्ता नाजिरा का विवाह मृतका के देवर अनीस के साथ दिनांक 28.03.2003 को हुआ था, अर्थात मृतका के विवाह के लगभग 5 वर्ष 1 माह 3 दिन पश्चात् हुआ था, जबकि मृतका की मृत्यु दिनांक 17.12.2004 को हुई थी। इसका तात्पर्य यह है कि मृतका की मृत्यु से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व ही अभियुक्ता नाजिरा अपने वैवाहिक जीवन के कारण इस परिवार में आई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्ता द्वारा मृतका से न तो किसी प्रकार की दहेज की मॉग की गई और न ही उसे किसी प्रकार से प्रताड़ित किया गया। अतः मृतका की मृत्यु में अभियुक्ता की कोई भूमिका अथवा सहभागिता नहीं है।

25. बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट से ही यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा ने यह कहा है कि उसकी पुत्री का विवाह दिनांक 25.04.1998 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार फिरोज खान के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात् ससुर इस्माइल, मलिक, अनीस, नौशाद (जो कि देवर हैं) तथा नाजिरा पत्नी अनीस (जो कि देवरानी है) द्वारा उसकी पुत्री से ₹1,00,000/- नगद, एक मोटरसाइकिल तथा एक रंगीन टीवी की मांग की जाती थी। वादी मुकदमा ने यह भी कहा है कि उसने कई बार उन्हें समझा-बुझाकर अपनी पुत्री को ससुराल भेजा, किन्तु वे लोग अपनी मांग पर अड़े रहे।

यह उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा द्वारा इस्माइल, उसकी पत्नी मलिका, उसका पुत्र फिरोज (जो कि मृतका का पति है), अनीस (जो कि मृतका का देवर है), नौशाद (जो कि मृतका का देवर है) तथा नाजिरा (जो कि मृतका की देवरानी है) के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट

दर्ज कराई गई थी। विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण इस्माइल, मलिका, अनीस एवं फिरोज के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात उक्त आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्तगण का विचारण किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की प्रार्थना के आधार पर अभियुक्ता नाजिरा तथा नौशाद को भी विचारण हेतु तलब किया गया। अभियुक्त नौशाद की पत्रावली, उसके किशोर पाये जाने के पश्चात, पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित कर दी गई है। अभियुक्तगण इस्माइल, मलिका एवं फिरोज के संबंध में निर्णय दिनांक 06.02.2008 को पारित किया जा चुका है, जबकि अभियुक्त अनीस को फरार घोषित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्ता नाजिरा की पत्रावली में समस्त अभियोजन प्रपत्रों की सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न की गई हैं, क्योंकि मूल पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 206/2005 का निर्णय दिनांक 06.02.2008 को हो चुका है। तथापि मूल पत्रावली को तलब कर इस पत्रावली के साथ संलग्न किया गया तथा मूल पत्रावली में उपलब्ध समस्त मूल प्रपत्रों का भी अवलोकन किया गया है। साथ ही अभियोजन द्वारा उक्त सत्र परीक्षण के समस्त साक्ष्यों की सत्य प्रतिलिपियाँ तथा निर्णय की सत्यप्रतिलिपि अभिलेख पर प्रस्तुत की गई हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्ता नाजिरा मृतका की देवरानी है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध इस आशय से प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई कि उसकी पुत्री, अर्थात् मृतका, को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे तथा बाद में रंगीन टी.वी. और मोटरसाइकिल की मांग करते थे। जब उन्हें रुपये नहीं दिए गए, तो अभियुक्तगण द्वारा मृतका पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके पश्चात विवेचना हुई। विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण इस्माइल, मलिका व फिरोज के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात अभियुक्त अनीस के फरार हो जाने के कारण इस्माइल, मलिका व फिरोज का विचारण पूर्ण हुआ। तत्पश्चात सत्र परीक्षण संख्या 206/2005 का निस्तारण हो चुका है, जिसमें अभ्युक्तगण इस्माइल, मलिका व फिरोज को दहेज हत्या के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है। दौरान विचारण अभियोजन की ओर से ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात न्यायालय द्वारा अभियुक्ता नाजिरा तथा अभियुक्त नौसाद को विचारण हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त नौसाद को न्यायालय द्वारा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर अपचारी घोषित किया गया तथा उसकी पत्रावली पृथक करने के पश्चात विचारण हेतु किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित कर दी गई। प्रस्तुत विचारण मात्र अभियुक्ता नाजिरा के संबंध में किया जा रहा है। जैसा कि स्पष्ट है कि अभियुक्तगण इस्माइल , मलिका व फिरोज खान को दहेज हत्या के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है तथा मूल पत्रावली भी तलब होकर संलग्न है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से कागज संख्या 49/1 से 49/8, सत्र परीक्षण संख्या 206/2005 में

पारित निर्णय दिनांक 06.02.2008 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में मृतका की मृत्यु दहेज हत्या के रूप में प्रमाणित की जा चुकी है, अर्थात् मृतका की दहेज हत्या हुई है। प्रस्तुत विचारण मात्र अभियुक्ता नाजिरा के संबंध में किया जा रहा है। अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अन्य अभियुक्तगण के साथ अभियुक्ता नाजिरा का भी मृतका की दहेज मृत्यु में कोई योगदान था, तथा क्या अभियुक्ता द्वारा मृतका से या मृतका के मायके वालों से दहेज की मांग की जाती थी और क्या दहेज के निमित्त उसे प्रताड़ित किया जाता था। इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्ता नाजिरा की शादी मृतका की शादी से पाँच वर्ष बाद हुई है। इस संबंध में कागज संख्या 48–ख, 3/2–ब तथा 3/3 संलग्न पत्रावली है, जिसमें निकाहनामा संलग्न है। उक्त निकाहनामा से स्पष्ट है कि अभियुक्ता नाजिरा की शादी अनीस के साथ दिनांक 28.05.2003 को हुई है, जबकि मृतका की शादी दिनांक 25.04.1998 को हुई थी। इस प्रकार मृतका की शादी के पश्चात पाँच वर्ष एक माह तीन दिन बाद अभियुक्ता नाजिरा मृतका के परिवार में आई। प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसकी लड़की की शादी होते ही ससुर इस्माइल, सास मलिका, अनीस व नौसाद (देवर) तथा नाजिरा (देवरानी) द्वारा एक लाख रुपये, मोटरसाइकिल तथा एक रंगीन टी.वी. की मांग की जाती थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मृतका की शादी के तुरंत बाद उससे दहेज की मांग की जाती थी और उसे परेशान किया जाता था, जबकि अभियुक्ता नाजिरा की शादी मृतका की शादी से पाँच वर्ष बाद हुई थी। अतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब अभियुक्ता की शादी ही पाँच वर्ष बाद हुई, तो उसके द्वारा मृतका से दहेज की मांग किस प्रकार की जा सकती थी। यह तथ्य स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उस समय नाजिरा मृतका की देवरानी थी ही नहीं। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा दहेज की मांग किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता।

26. अब अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह विचार किया जाना है कि मृतका की मृत्यु में अभियुक्ता का क्या योगदान था। वादी मुकदमा एक महत्वपूर्ण साक्षी है, जिसे अभियोजन द्वारा पी०डब्ल्यू०–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। पी०डब्ल्यू०–1 मृतका का पिता है। इसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसकी पुत्री की शादी अभियुक्त फिरोज के साथ हुई थी। अभियुक्त इस्माइल फिरोज का पिता है, नौसाद फिरोज का छोटा भाई है, मलिका फिरोज की माँ है तथा नाजिरा उसकी पुत्री की देवरानी है। फिरोज की शादी दिनांक 25.04.1998 को मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार संपन्न हुई थी। इस साक्षी ने कहा है कि उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान–दहेज दिया था। यह सभी लोग एक ही घर में साथ–साथ रहते थे। उक्त अभियुक्तगण उसकी पुत्री से एक लाख रुपये, एक मोटरसाइकिल तथा एक

रंगीन टीवी की मांग करते थे। यह बात उसकी पुत्री ने उसे बताई थी। इस पर उसने कहा कि वह अतिरिक्त दहेज देने में असमर्थ है। इन लोगों की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 17.12.2004 को उसकी पुत्री पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। इसकी सूचना उसके रिश्तेदार मुस्ताक ने फोन पर दी थी। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि यह तहरीर उसने शहजाद से लिखवाई थी। इसने आगे कहा कि उसे यह मालूम नहीं है कि अभियुक्ता नाजिरा उसके रिश्तेदार गनी की क्या लगती है। नाजिरा का मायका ग्राम एट है। नाजिरा के माता–पिता का नाम उसे मालूम नहीं है। नाजिरा की शादी में उसकी बहन नहीं आई थी। उसे यह भी याद नहीं है कि नाजिरा की शादी में उसके परिवार के लोग आए थे या नहीं। उसे यह भी मालूम नहीं है कि उसकी बेटी सुबरातन की शादी के कितने दिन बाद नाजिरा की शादी हुई थी। नाजिरा की शादी के लिए नाजिरा के घरवालों ने उससे कोई जानकारी या पूछताछ नहीं की थी। वह नाजिरा के घर शादी में नहीं गया था। इस साक्षी ने आगे कहा है कि उसकी पुत्री के दो बच्चे पैदा हुए थे और वर्तमान समय में दोनों बच्चे अपने दादा–दादी के साथ रहते हैं। इस साक्षी ने आगे कहा कि मुल्जिम नाजिरा उसके रिश्ते में पहले भतीजी लगती है, फिर उसने कहा कि वह लड़की जैसी लगती है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि घटना शादी के लगभग छह वर्ष बाद हुई थी। उसे यह मालूम नहीं है कि उसकी लड़की की शादी के कितने दिन बाद नाजिरा की शादी हुई थी। नाजिरा की शादी में उसके परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ था। नाजिरा की शादी के समय उसकी पुत्री जीवित थी। इस साक्षी ने आगे कहा कि उसे यह मालूम नहीं है कि एफ०आई०आर० किस दिनांक को दर्ज हुई थी। एफ०आई०आर० उसी ने कराई थी। वह पढ़ा–लिखा है, परंतु कम पढ़ा–लिखा है। एफ०आई०आर० दरोगा जी ने लिखी थी, फिर दरोगा जी ने उसे मुंशी के पास दे दी थी और मुंशी ने उसे दर्ज किया था। उसे इस्माइल ने उसकी लड़की सुबरातन की मृत्यु की सूचना नहीं दी थी, बल्कि रिश्तेदार मुस्ताक ने यह सूचना दी थी। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद दूसरे दिन शाम को मिट्टी (दफन) हुई थी। अभियुक्ता नाजिरा उसकी बेटी सुबरातन की देवरानी है। उसे यह मालूम नहीं है कि मुल्जिम नाजिरा और उसका पति इस्माइल से अलग रहते थे या नहीं। उसे यह भी मालूम नहीं है कि नाजिरा की इस्माइल से रसोई अलग थी या नहीं। उसकी बेटी सुबरातन तथा उसका दामाद फिरोज अपने पिता इस्माइल के साथ रहते थे। नाजिरा ने आज तक उससे फोन पर कभी भी दहेज मांगने की बात नहीं की थी। इस प्रकार पी०डब्ल्यू०–1, जो कि वादी मुकदमा तथा मृतका का पिता है, इसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अवश्य कहा है कि शादी के तुरंत बाद से अभियुक्तगण दहेज की मांग करने लगे थे और मृतका को परेशान करते थे। किंतु अभियुक्ता नाजिरा के संबंध में उसने स्वयं कहा है कि उसकी शादी बाद में हुई थी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि अभियुक्ता नाजिरा की

शादी मृतका की शादी से लगभग पाँच वर्ष बाद हुई थी। जब पी०डब्ल्यू०-1 का यह कथन है कि शादी के तुरंत बाद से अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग की जाने लगी थी, उस समय अभियुक्ता नाजिरा उस घर में मौजूद नहीं थी। उस समय मृतका की देवरानी नाजिरा नहीं थी। जब उस समय नाजिरा उस घर में थी ही नहीं, तब शादी के तुरंत बाद से उसके द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाना प्रारंभ किया जाना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। पी०डब्ल्यू०-1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे यह मालूम नहीं है कि उसकी बेटी सुबरातन और नाजिरा साथ रहते थे या अलग रहते थे। अपनी जिरह के अंतिम चरण में पी०डब्ल्यू०-1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नाजिरा ने आज तक उससे फोन पर कभी भी दहेज की मांग नहीं की थी। पीडब्ल्यू-1 के पूरे बयान से यह स्पष्ट है कि अभियुक्ता नाजिरा के संबंध में दहेज की मांग को लेकर कोई विशिष्ट या स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया है और न ही ऐसा कोई कथन किया गया है कि अभियुक्ता नाजिरा द्वारा विशेष रूप से मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जब अभियुक्ता नाजिरा की शादी मृतका की शादी के लगभग पाँच वर्ष बाद हुई और वह प्रारंभिक समय में उस घर में थी ही नहीं, तब उसके द्वारा प्रारंभ से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाना संभव नहीं है। हाँ, यह तथ्य अवश्य है कि जब मृतका की मृत्यु हुई, तब उससे लगभग एक वर्ष पूर्व अभियुक्ता देवरानी के रूप में उस घर में आ चुकी थी। किंतु यह प्रश्न भी विचारणीय है कि जो देवरानी लगभग एक वर्ष पूर्व ही घर में आई हो, क्या वह अपनी उससे बड़ी जिठानी से दहेज की मांग करेगी। यह तथ्य भी स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। पी०डब्ल्यू०-1, जो कि मृतका का पिता है, ने अपने बयान में यह भी कहा है कि अभियुक्ता नाजिरा उसके रिश्ते में भतीजी लगती है और फिर उसने यह भी कहा कि वह बेटी जैसी लगती है। उसने अपनी पूरी प्रतिपरीक्षा में कहीं भी अभियुक्ता द्वारा मृतका से या उससे दहेज की मांग करने अथवा प्रताड़ना देने के संबंध में कोई ठोस या स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः यह देखना आवश्यक है कि अन्य साक्षीगण अभियुक्ता नाजिरा के संबंध में क्या कहती हैं, क्योंकि मात्र किसी का रिश्तेदार होना या देवरानी होना अपने-आप में कोई अपराध नहीं है कि केवल रिश्तेदारी के आधार पर किसी को अभियुक्त बना दिया जाए। ऐसी प्रवृत्ति न्यायोचित नहीं मानी जा सकती। तथापि, इस संबंध में सभी साक्षियों के साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन एवं विश्लेषण किया जाना आवश्यक है, जिससे कि न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुँच सके। यह उल्लेखनीय है कि पीडब्ल्यू-2 के रूप में श्रीमती गुब्बो को परीक्षित कराया गया है, जो कि मृतका की माँ हैं। इन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि शादी के बाद जब उनकी पुत्री ससुराल गई, तो ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग करते थे। ससुर इस्माइल, सास मलिका, पति फिरोज, देवर अनीस, देवर नौसाद तथा

अनीस की पत्नी नाजिरा ये सभी लोग मिलकर उनकी लड़की को प्रताड़ित करते थे। जबकि अभिलेख से स्पष्ट है कि अभियुक्ता नाजिरा की शादी मृतका की शादी के लगभग पाँच वर्ष बाद हुई थी। उस समय नाजिरा, जो कि अभियुक्ता है, मृतका की देवरानी थी ही नहीं। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग किए जाने का कथन स्पष्ट नहीं होता। इस प्रकार पी०डब्ल्यू०–2 द्वारा मुख्य परीक्षा में दिया गया कथन स्वविरोधी प्रतीत होता है, जिसका कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं है। पी०डब्ल्यू०–2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसकी पुत्री का पहला बच्चा अपने दादा–दादी के पास ही रहता है। पहले बच्चे के जन्म के बाद वह उसे अपने साथ लेकर गई थी। दूसरा बच्चा शादी के कितने वर्ष बाद हुआ, इसके बारे में उसे कुछ ज्ञात नहीं है। सुबरातन की शादी राजी–खुशी से हुई थी। शादी के पहले ससुराल वालों ने दहेज की मांग नहीं की थी, बल्कि बाद में की थी। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्ता के संबंध में कहा है कि अभियुक्ता नाजिरा रिश्ते में उसकी बिटिया लगती है। उसने यह भी कहा कि नाजिरा की शादी किसने कराई थी, उसे यह मालूम नहीं है। उसकी बिटिया उसके ही परिवार में ब्याही थी, उसी रिश्ते से नाजिरा उसकी बिटिया लगती है। उसे यह भी मालूम नहीं है कि उसकी पुत्री की शादी के कितने वर्ष बाद नाजिरा की शादी हुई थी। उसने यह भी कहा कि उसकी पुत्री के बच्चे के जन्म से पहले ही नाजिरा की शादी हो गई थी। इस साक्षी ने आगे कहा कि नाजिरा की शादी में उसके पति आए थे, परंतु वह स्वयं नहीं गई थी; जबकि पी०डब्ल्यू०–1 ने अपने बयान में कहा है कि वह भी नाजिरा की शादी में शामिल होने नहीं गया था। इस प्रकार दोनों साक्षियों के कथनों में भी अंतर दृष्टिगत होता है। पीडब्ल्यू–2 की प्रतिपरीक्षा से भी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आता, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अभियुक्ता नाजिरा द्वारा मृतका को किसी प्रकार से परेशान किया जाता था। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा अथवा प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई विशिष्ट कथन नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि अन्य अभियुक्तों के साथ अभियुक्ता नाजिरा भी मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित करती थी। अतः पीडब्ल्यू–2 के समस्त कथनों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्ता नाजिरा के विरुद्ध दहेज की मांग अथवा प्रताड़ना के संबंध में कोई स्पष्ट, विशिष्ट एवं विश्वसनीय आरोप स्थापित नहीं होता। अभियोजन की ओर से पी०डब्ल्यू०–3 के रूप में मुन्ना खां को परीक्षित कराया गया है, जो कि मृतका का चाचा लगता है। इसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसकी भतीजी की शादी आज से लगभग पच्चीस–छब्बीस वर्ष पूर्व फिरोज खां के साथ हुई थी। उसके भाई ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान–दहेज दिया था। विदा होकर जब वह अपनी ससुराल गई, तो वहाँ पर ससुरालीजन, अर्थात् पति फिरोज खां, ससुर इस्माइल खां, सास मलिका, देवर अनीस, नौसाद तथा देवरानी नाजिरा ये सभी लोग अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये नगद, एक मोटरसाइकिल एवं रंगीन टीवी की मांग करने लगे और उसकी भतीजी को

परेशान करने लगे। भतीजी ने यह बात मायके आकर अपने परिवार के लोगों को बताई। उस समय अपनी बच्ची को समझा–बुझाकर वापस ससुराल भेज दिया गया तथा ससुरालीजनों को भी समझाया गया कि हम लोग गरीब व्यक्ति हैं और अतिरिक्त दान –दहेज देने में असमर्थ हैं। इसके बावजूद ससुरालीजन भतीजी को लगातार प्रताड़ित करते रहे और उसके साथ मारपीट करते रहे। मृत्यु के लगभग एक माह पूर्व भी उसकी भतीजी ने हम लोगों को प्रताड़ना की बात बताई थी। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसकी भतीजी पर मिट्टी का तेल डालकर जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में पीडब्ल्यू –1 एवं पीडब्ल्यू–2 की भांति ही यह कथन किया है कि जैसे ही मृतका ससुराल गई, उसी समय से ससुराल वाले दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित करने लगे। जबकि यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मृतका की शादी के समय अथवा उसके कुछ समय पश्चात तक अभियुक्ता नाजिरा उस परिवार में उपस्थित नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों साक्षियों ने न्यायालय के समक्ष एक प्रकार का रटा–रटाया बयान दिया है। अभियोजन की ओर से भी इस संबंध में कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया कि तीनों साक्षियों के बयान लगभग एक जैसे क्यों हैं। साक्षियों को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि शादी के तुरंत बाद मृतका को कौन –कौन प्रताड़ित करता था तथा अभियुक्ता नाजिरा कब से प्रताड़ित कर सकती थी। इस संबंध में किसी भी साक्षी द्वारा कोई विशिष्ट या स्पष्ट बात नहीं कही गई है। यह साक्षी, जो पी०डब्ल्यू०–3 है, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में वादी मुकदमा को अपना सगा भाई बताया है। इसने आगे यह भी कहा है कि अभियुक्ता नाजिरा उसके परिवार से ही संबंधित है। उसे यह मालूम नहीं है कि मृतका की शादी के कितने वर्ष बाद अभियुक्ता नाजिरा की शादी हुई थी। वह मृतका के पहले बच्चे के जन्म के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि अभियुक्ता नाजिरा की शादी में वह शामिल हुआ था। नाजिरा की शादी उसके निवास स्थान एट, जिला जालौन में हुई थी। मृतका के देवर अनीस से नाजिरा की शादी एट में हुई थी। शादी में उसने खाना –पीना किया था और वह राजी–खुशी से विदा हो गई थी। नाजिरा, सुबरातन की देवरानी है। नाजिरा का एक ही लड़का है तथा उसके पति का नाम अनीस है। उसे यह भी मालूम नहीं है कि अनीस इस समय कहाँ है। यह कहना गलत है कि उसने अनीस का अपहरण करवा लिया हो। इस साक्षी ने अपने बयान में दहेज की मांग के संबंध में अभियुक्ता नाजिरा के विरुद्ध कोई विशिष्ट कथन नहीं किया है।

27. इस प्रकरण में पी०डब्ल्यू० –1, पी०डब्ल्यू०–2 तथा पी०डब्ल्यू०–3 तीनों ही अभियोजन की ओर से तथ्य के साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। परंतु इन तीनों साक्षीगण के साक्ष्य में अभियुक्ता नाजिरा के विरुद्ध विशेष रूप से दहेज मांगने अथवा प्रताड़ित करने संबंधी कोई ठोस या स्पष्ट आरोप सामने नहीं आया है। सामान्य रूप से सभी ने केवल एक ही

प्रकार का कथन किया गया है। मुख्य परीक्षा में ऐसा प्रतीत होता है, मानो प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों को ही साक्षियों के बयान में दोहरा दिया गया हो। साक्षियों ने अपने बयान देते समय यह भी विचार नहीं किया कि जब शादी के तुरंत बाद अभियुक्ता नाजिरा उस घर में थी ही नहीं, तब वह दहेज के लिए किस प्रकार प्रताड़ित कर सकती थी। यह तथ्य भी अभिलेख से स्पष्ट है कि अभियुक्ता नाजिरा की शादी मृतका की शादी से लगभग पाँच वर्ष बाद हुई थी। अतः साक्षियों द्वारा अपनी साक्ष्य में कोई भी ऐसी विशिष्ट या स्पष्ट बात नहीं कही गई है, जिससे यह साबित होता हो कि मृतका की मृत्यु में अभियुक्ता नाजिरा का कोई विशेष अथवा प्रत्यक्ष योगदान रहा हो। उपरोक्त तथ्यात्मक साक्ष्य के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से पी०डब्ल्यू०–4 के रूप में डॉक्टर आर.बी. आर्या को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने मृतका का पोस्टमार्टम किया था। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसके द्वारा दिनांक 18.12.2004 को मृतका का पोस्टमार्टम किया गया था। उसने बताया कि मृतका की आँखें बंद थीं, मुँह खुला हुआ था, पेट फूला हुआ था, त्वचा जली हुई थी, त्वचा का रंग काला पड़ गया था तथा सिकुड़ी हुई थी। दोनों हाथ तथा दाएँ और बाएँ पैरों की हड्डियाँ दिखाई दे रही थीं। शरीर अकड़ गया था तथा बाल जले हुए थे। मृत्यु के पश्चात की अकड़न, शरीर के जल जाने के कारण स्पष्ट रूप से पृथक नहीं की जा सकी। मृतका के शरीर पर जलने के अतिरिक्त कोई अन्य चोट नहीं पाई गई। इस साक्षी ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतका की मृत्यु जलने के कारण हुई है तथा शरीर पर अन्य चोट नहीं पाई गई। इस साक्षी ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतका की मृत्यु जलने के कारण हुई है तथा शरीर पर अन्य कोई चोट नहीं पाई गई। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु जलने से हुई थी। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से पी०डब्ल्यू० –5 के रूप में सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक चित्तर सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में क्षेत्राधिकारी सदर श्री छोटेलाल गुप्ता के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया है तथा उनके हस्ताक्षर को अपने समक्ष कार्य करते हुए देखने की बात कही है। पी०डब्ल्यू० –6 के रूप में सेवानिवृत्त उपजिलाधिकारी अश्विनी कुमार श्रीवास्तव को परीक्षित कराया गया है। इन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि मृतका की मृत्यु की सूचना मिलने पर वे घटना स्थल पर पहुँचे थे। मृतका का शव दूसरी मंजिल पर स्थित बाथरूम के अंदर मिला था, जो पूर्ण रूप से जला हुआ था। शरीर पर कोई भी वस्त्र शेष नहीं था। घटना स्थल पर मृतका की सास मलिका उपस्थित थी। शरीर के पूर्ण रूप से जल जाने के कारण कोई बाह्य चोट स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। पाँच पंच नियुक्त किए गए थे तथा मृतका की मृत्यु की सही जानकारी के लिए पोस्टमार्टम कराए जाने की राय व्यक्त की गई थी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि जिस बाथरूम से मृतका का शव बरामद हुआ था, उसकी छत ऊपर से खुली हुई थी। इसके

अतिरिक्त अभियोजन की ओर से पी०डब्ल्यू०–7 के रूप में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नरेंद्र प्रताप सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने आरोप पत्र, अन्य प्रपत्र तथा नक्शा–नजरी इत्यादि को साबित किया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि वादी ने अपने दिए गए बयानों में उसे यह नहीं बताया था कि उसने अपने रिश्तेदार शहजाद, जो तहरीर लेखक था, को फिरोज खां का नाम बताया था। उसने यह अवश्य बताया था कि तहरीर में दामाद फिरोज का नाम छूट गया है। तहरीर बोल–बोलकर लिखवाई गई थी। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि मृतका की देवरानी श्रीमती नाजिरा की शादी घटना से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व हुई थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि जिस स्थान पर जलने की घटना बताई गई थी, वह लेट्रिन ऊपर से खुली हुई थी तथा उसमें न तो छत थी और न ही दरवाजा था। छत पर इस लेट्रिन के अतिरिक्त कोई अन्य निर्माण नहीं था। इस साक्षी ने आगे कहा है कि पी०डब्ल्यू० –1, पी०डब्ल्यू०–2 एवं पी०डब्ल्यू०–3 ने उसे बताया था कि मृतका की शादी वर्ष 1998 में हुई थी। मृतका की शादी के बाद अभियुक्ता नाजिरा की शादी किस तिथि को हुई थी, यह उसे स्मरण नहीं है। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके द्वारा की गई विवेचना में नामजद अभियुक्ता नाजिरा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित करने योग्य पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए गए थे, इसलिए नाजिरा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया था। यह साक्षी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी ने विवेचना की थी। विवेचना करने के उपरांत इसने घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा समस्त साक्षियों के बयान दर्ज किए। सभी साक्षियों के बयान लेने के पश्चात इसने अभियुक्ता नाजिरा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया था। परंतु बाद में न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्ता नाजिरा को नौसाद के साथ तलब किया गया। यह उल्लेखनीय है कि विवेचक द्वारा पूर्व में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया था जो अभियुक्ता नाजिरा के विरुद्ध हो, इसलिए उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पीडब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–2 तथा पीडब्ल्यू–3, जो कि तथ्य के मुख्य साक्षी हैं, उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में केवल इतना कहा है कि शादी के तुरंत बाद से अभियुक्तगण, जिनमें नाजिरा का भी नाम लिया गया है, दहेज की मांग करते थे और मृतका को प्रताड़ित करते थे। जबकि यह तथ्य अभिलेख से स्पष्ट है कि मृतका की शादी के समय अभियुक्ता नाजिरा की शादी हुई ही नहीं थी। उसकी शादी मृतका की शादी के लगभग पाँच वर्ष बाद हुई थी, अर्थात् मृतका की मृत्यु के लगभग एक वर्ष पूर्व वह इस परिवार में आई थी। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्ता नाजिरा द्वारा विशेष रूप से अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर दहेज की मांग की जाती थी या मृतका को प्रताड़ित किया जाता था। इसी प्रकार यह भी नहीं

बताया गया है कि मृत्यु के ठीक पूर्व अभियुक्ता नाजिरा द्वारा ऐसा कौन–सा कृत्य किया गया था, जिससे उसके विरुद्ध दहेज मृत्यु का अपराध साबित हो सके। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्ता नाजिरा द्वारा मानसिक या शारीरिक रूप से मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था अथवा उससे अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती थी।अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों में ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अभियुक्ता नाजिरा द्वारा मृतका को मानसिक रूप से दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया जाता था अथवा उससे दहेज की मांग की जाती थी। किसी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना अभियुक्ता नाजिरा द्वारा मृतका के साथ की जाती थी, इस संबंध में भी कोई स्पष्ट कथन या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि मृत्यु के ठीक पूर्व अभियुक्ता नाजिरा द्वारा ऐसा कौन–सा कृत्य किया गया था, जिसके कारण मृतका की मृत्यु हो गई हो। क्या उसके द्वारा मृतका की हत्या की गई, इस संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी नहीं बताया गया है कि अभियुक्ता द्वारा दहेज की मांग को लेकर मानसिक क्रूरता किए जाने के कारण मृतका ने आत्महत्या की हो। इस संबंध में भी कोई साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से यह भी कहा गया है कि मृतका अपने पति के साथ रहती थी, जबकि अभियुक्ता नाजिरा अपने पति के साथ अलग रहती थी। यह तथ्य अभियोजन के साक्षियों के बयानों से भी स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी अभिलेख से पूर्णतः स्पष्ट है कि अभियुक्ता नाजिरा की शादी मृतका की शादी से लगभग पाँच वर्ष बाद हुई थी। ऐसी स्थिति में मृतका की शादी के तुरंत बाद से दहेज की मांग किए जाने संबंधी कथन अभियुक्ता नाजिरा के संदर्भ में न तो विश्वसनीय प्रतीत होता है और न ही तार्किक है। अतः समस्त साक्ष्यों के समग्र अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन के पास अभियुक्ता नाजिरा के विरुद्ध ऐसा कोई ठोस,स्पष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे उसके विरुद्ध दहेज मांगने अथवा मृतका को प्रताड़ित करने का आरोप सिद्ध किया जा सके।

28. माननीय उच्चतम न्यायालय ने पति के रिश्तेदारों (विशेषकर देवर की पत्नी / देवरानी) के संबंध में अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में कहा है कि केवल रिश्तेदारी के आधार पर 304–B या 498–A में दोषसिद्धि नहीं हो सकती।

1. Kahkashan Kausar v. State of Bihar (2022) 6 SCC 599

"The tendency of implicating the husband and all his immediate relatives is not uncommon. Courts must ensure that criminal proceedings are not used as a tool for harassment of innocent relatives."

2. Geeta Mehrotra v. State of Uttar Pradesh (2012) 10 SCC 741

"Casual reference to the names of the relatives of the husband without specific allegations would not justify prosecution."

3. Kans Raj v. State of Punjab, (2000) 5 SCC 207

"Courts should be cautious in dealing with cases of dowry death where all relatives of the husband are roped in."

4. Preeti Gupta v. State of Jharkhand, (2010) 7 SCC 667

"The courts should be extremely careful in dealing with cases against the relatives of the husband when no specific role is attributed."

5. Chabi Karmakar v. State of West Bengal(2023)6 एस०सी०सी० 195 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोबारा स्पष्ट किया कि 304-B IPC में conviction के लिए "soon before death cruelty for dowry" का स्पष्ट प्रमाण होना आवश्यक है, अन्यथा केवल रिश्तेदारी पर्याप्त नहीं है।

29. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्ता विरुद्ध दहेज की मांग अथवा मृतका के साथ क्रूरता या उत्पीड़न किए जाने का कोई विशिष्ट एवं प्रत्यक्ष कृत्य सिद्ध नहीं होता। अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा पति के अन्य रिश्तेदारों के साथ -साथ इस अभियुक्ता के विरुद्ध केवल सामान्य एवं सामूहिक आरोप लगाए गए हैं, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर इस अभियुक्ता द्वारा कौन-सा विशेष कृत्य किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि इस अभियुक्ता का विवाह मृतका के पति के छोटे भाई के साथ, मृतका के विवाह के कई वर्ष (5 वर्ष) पश्चात् हुआ था तथा ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि इस अभियुक्ता ने मृतका को उसकी मृत्यु से पूर्व किसी समय दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Kahkashan Kausar v. State of Bihar तथा Kans Raj v. State of Punjab में यह स्पष्ट किया है कि वैवाहिक विवादों में पति के सभी रिश्तेदारों को एक साथ अभियुक्त बना देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और ऐसे मामलों में, जब तक किसी विशेष अभियुक्त के विरुद्ध ठोस एवं विशिष्ट आरोप अथवा विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध न हों, केवल रिश्तेदारी के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष इस अभियुक्ता के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसके द्वारा की गई कथित क्रूरता और मृतका की मृत्यु के बीच कोई निकट एवं प्रत्यक्ष संबंध (proximate and live link) विद्यमान था, जिससे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए व 304-बी तथा धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आवश्यक अवयव साबित हो सकें। अतः न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन इस

अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, फलस्वरूप अभियुक्ता को संदेह का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

30. उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में सम्पूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्ता श्रीमती नाजिरा के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी भा०दं०सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्ता में धारा 498ए, 304बी भा०दं०सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

31. सत्र परीक्षण संख्या 207/2005 सरकार बनाम श्रीमती नाजिरा आदि में अभियुक्ता श्रीमती नाजिरा को धारा 498ए, 304बी भा०दं०सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

32. अभियुक्ता जमानत पर हैं। उसका जमानतनामा निरस्त करते हुये उसके प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

33. अभियुक्ता श्रीमती नाजिरा को आदेशित किया जाता है कि वह एक सप्ताह में धारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में 50,000/–रू० की एक जमानत व इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करे।

दिनांक 26.03.2026 **(तेन्द्र पाल)**

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(सी०ए०डब्लू०), महोबा।
UP- 1719

निर्णयादेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः26.03.2026 **(तेन्द्र पाल)**

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(सी०ए०डब्लू०), महोबा।
UP- 1719

Digitally signed by TENDRA PAL
Date: 2026.04.01 13:04:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court